रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 1984/वैसाख 29, 1906
No. 242] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 1984/VAISAKHA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1984

का० आ० 391(अ).—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक उपकरणों और विज्ञानिक उपकरणों के विनिर्माण और उत्पादन में लगे हुए अनुसूचित उद्योग के लिए विकास परिषद का गठन करने वाले भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के

आदेश सं० का० आ० 277 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त आदेश में :—

(i) क्रम सं० 7 और संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"7. श्री एस० आर० गोधरीकर, निदेशक,
केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन,
सैक्टर 30, चंडीगढ़ ...सदस्य"

(ii) क्रम सं० 21 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"22. श्री के० वसुदेवन,
मैसर्स मैस्स कंट्रोल लिमिटेड,
कलकत्ता ...सदस्य"

"23. श्री आर० रामामूर्थम,
मैसर्स, बी को इलैक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
बम्बई ...सदस्य"

[सं० आई० एस० ई०-3(6)76]
बी० वेंकटरमणन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th May, 1984

S.O. 391(E) .— In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 277 (E), dated the 4th April , 1983 constituting a Development Council for the

scheduled industry engaged in the manufacture and production of industrial instruments and scientific instruments, namely :—

2. In the said Order :—

(i) for serial No. 7 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"7. Shri S.R. Gowariker, Director,
M/s. Central Scientific Instruments
Organisation, Sector 30,
CHANDIGARH .... Member."

(ii) After serial No. 21 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"22. Shri K.Vasudaven,
M/s. Bells Controls Ltd.,
CALCUTTA. ... Member."

"23. Shri R. Ramamrutham,
M/s Pisco Electronics & Electricals Ltd.,
BOMBAY. .... Member."

[No. ILE-3(5)/76]

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1984